मॉडर्न टेरी टावल लिमिटेड

विरुद्ध

सोलंकी मूलजी भाई रेवाभाई हरिजन व्यास और अन्य

5 मई, 2004

राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति और जी. पी. माथुर, न्यायाधिपति

पर्यावरण विधि -

पर्यावरण प्रदूषण - कारखाने द्वारा व्यापारिक अपशिष्ट का निर्वहन कारखाने के परिसर के बाहर - रिट याचिका- कारखाने के बंद करने का आदेश - न्यायालय द्वारा इकाई को निर्देश कि एक निश्चित राशि इकाई को पुनः चालू करने की शर्त के रूप में जमा करावे तथा कोई उत्सर्जन उत्पन्न नहीं करे - बाद में करार की शर्तों के अनुसार प्रभावित व्यक्तियो को मुआवजा दिया गया, उत्सर्जन के उपचार का संयंत्र स्थापित किया जाए एवं प्रदूषण नियंत्रण मापदंड संतुष्ट हों - रिट याचिका का निस्तारण किया गया जिसमें ऐसा कोई आदेश नहीं किया गया है कि जो राशि जमा कराई गयी है उसे लौटाया जाए - जमा कराई गई राशि को लौटाने का आवेदन - निस्तारित किया गया। यह निर्देश देते हुए कि इसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों के निस्तारण के बाद किया जाएगा - अपील में निर्धारित - प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया

गया। उच्च न्यायालय को जमा राशि मामले को पृथक् मानते हुए लौटा देना चाहिए - अतः उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए मामला पुनर्विचार के लिए भेजा गया।

अपीलार्थी औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाई अपशिष्टों का उत्सर्जन कर रही थी जो उसके परिसर के बाहर हो रहा था। एक नागरिक जो इस इकाई के पड़ोस में रह रहा था उसने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने इकाई को बंद करने का आदेश देते हुए यह निर्देश दिया कि अपीलार्थी एक विशिष्ट राशि इकाई को पुनः चालू करने की शर्त के रूप में एवं अपशिष्टों का उत्सर्जन न करने की शर्त के साथ जमा कराएगी तो ही इकाई पुनः चालू की जाएगी। इसके बाद पक्षकारों के बीच हुई संविदा के अनुरूप प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दी गई, अपशिष्टों का उत्सर्जन का संयंत्र शुरु किया गया तथा प्रदूषण नियंत्रण के मानक संतुष्ट किए गए। यह करार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने रिट याचिका निस्तारित की व उसे वापस लेने की प्रार्थना स्वीकार की। परंतु उसने इस बारे में कोई आदेश नही किया कि जो राशि अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष जमा कराई है उसका क्या होगा। अपीलार्थी ने एक आवेदन इस राशि को पुनः लौटाने के लिए प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने इस आवेदन का निस्तारण यह निर्देश देते हुए दिया कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का निस्तारण होने के बाद इस पर सुना जा सकता है। अतः अपील की गई।

अपीलार्थी - औद्योगिक इकाई ने यह तर्क दिया है कि चूंकि रिट याचिका वापस ली जा चुकी है, सम्बद्ध व्यक्ति जिसे क्षति हुई थी उनकी क्षतिपूर्ति भी की जा चुकी है।

अतः इस बात का प्रश्न नहीं उठता कि उसके द्वारा जमा कराई गई राशि न्यायालय में जमा ही रहे। यह मामला अन्य मामलों से एक पूर्णतः भिन्न आधार पर है। जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

पर्यावरण के दूषित होने अथवा निम्नतर स्तर पर पहुंचने व उसके कारण पड़ोसी नागरिकों को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति करार के अनुसार हो जाने जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। साथ ही अपशिष्टों का उत्सर्जन के उपचार का संयंत्र लगा देने व पर्यावरण नियंत्रण मापदंड की पालना हो जाने से उच्च न्यायालय को जमा कराई गई राशि को वापस लौटाने के संबंध में विचार करना चाहिए था। इस न्यायालय में लंबित मामले एक भिन्न आधार पर हैं। अतः उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए मामला पुनः विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। **(105-बी-डी)**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार - सिविल अपीलीय सं. - **2991/2004**

सिविल आवेदन **4361/2001** जो सिविल आवेदन **1074/1998** में किए गए गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश व निर्णय **21.10.2001** के विरुद्ध।

आर.एफ. नरीमन, सुश्री मानिक करंजावाला अपीलार्थी की ओर से।

सुश्री हेमंतिका वाही प्रत्यर्थी **2** व **3** की ओर से।

ई. सी. अग्रवाल प्रत्यर्थी **1** की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

राजेन्द्र बाबू, मुख्य न्यायाधिपति

अनुमति प्रदान की गई।

एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में अपीलार्थी की इकाई के पड़ोसी द्वारा इस आरोप के साथ प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थी अपने व्यापारिक उत्सर्जन कारखाने के परिसर के बाहर प्रवाहित कर रहा है। **16.12.1996** को उच्च न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया कि उत्सर्जन के प्रवाहित होने के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर एक कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को **26.12.1996** को जारी किया गया जिसमें रिपोर्ट के अंश थे, इसके बाद उच्च न्यायालय ने **9.1.97** को यह निर्देश दिया कि कारखाने को बंद कर दिया जाए। यह आदेश करते वक्त उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया कि अपीलार्थी यह नहीं कह सका है कि इस प्रकार का कोई उत्सर्जन व्यापारिक अपशिष्टों का नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को रु.**75000** जमा कराने का निर्देश देते हुए उसके कारखाने को बंद करने का आदेश किया। **16.1.97** को एक दूसरे आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को रु.**75,00,000** जमा कराने की शर्त पर अपीलार्थी को कारखाना पुनः चालू करने का निर्देश दिया। इन राशियों के किश्तों में जमा कराने पर उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि कुछ गतिविधियां पुनः प्रारम्भ की जा सकती हैं जिनसे किसी अपशिष्टों का उत्सर्जन नहीं हो। इसके बाद **27.1.98** के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने मामले का निस्तारण कर दिया। उस दिन किए गए आदेश में यह देखा गया है कि याची व कुछ अन्य लोगों के साथ जो उसी गांव के रहने वाले हैं, अपीलार्थी का करार हो गया है कि

उत्सर्जन उपचार संयंत्र (इटीपी) शुरु होने वाला है। इसके साथ ही कारखाने के लोगों को इस बात का प्रशिक्षण दिया गया कि इटीपी को किस प्रकार चालू किया जाए व उसका रख-रखाव किया जाए। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उन्होंने **20.1.1999** को नमूने एकत्र किए और परीक्षण पर यह पाया कि अपीलार्थी मानकों की पालना कर रहा है। याची व अन्य लोगों ने जो याचिका उच्च न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत की थी उन सबको क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है। जो इस आधार पर दी गई है कि कारखाने से अपशिष्टों का उत्सर्जन हो रहा है तथा इसी आधार पर जो करार हुआ वह उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा करार की पालना कर देने से व गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडल की आवश्यकतायें पूरी हो जाने से उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निस्तारण करते हुए रिट को वापस लेने का आदेश कर दिया। परंतु अपीलार्थी द्वारा जमा की गई राशि के बारे में उच्च न्यायालय का कहना था कि इस बिंदु पर बाद में विचार किया जाएगा।

इसके बाद एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि जमा कराई गई राशि लौटायी जाये। उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन बिना आदेश किए यह स्पष्ट करते हुए निस्तारित कर दिया कि इस आवेदन को पुनः तब सुना जायेगा जब उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का निपटारा हो जाये।

इस अपील में हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिका को वापस लिया जा चुका है। संबंधित व्यक्तियों जिनको अपशिष्टों का उत्सर्जन के कारण क्षति हुई थी उनकी क्षतिपूर्ति की जा चुकी है तो जो जमा राशि है उसे न्यायालय में जमा रखने

का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आगे यह भी कहा गया है कि यह मामला एक पूर्णतः भिन्न आधार पर है जबकि अन्य मामले जो इस न्यायालय के समक्ष हैं वे दूसरे आधार पर हैं क्योंकि उनमें अपशिष्टों के उत्सर्जन का सामान्य इटीपी है जबकि इस मामले में ऐसा कोई उत्सर्जन नहीं है सिवाय इसके कि कुछ अपशिष्टों का उत्सर्जन कारखाने के परिसर के पास की जमीनों में किया गया है।

पर्यावरण के दूषित होने या क्षतिग्रस्त होने के कारण पड़ोस में रहने वाले नागरिकों की क्षतिपूर्ति से संतुष्टि हो जाने के बाद जो करार के अनुसार हुई है तथा जिस करार को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, इटीपी लगाई जा चुकी है और प्रदूषण नियंत्रण के मानक संतुष्ट किये जा चुके हैं, उच्च न्यायालय को चाहिए था कि वे इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि जो राशि उनके न्यायालय में जमा कराई गई है उसे वापस लौटाया जाए या नहीं तथा इस मामले को एक भिन्न आधार पर लेना चाहिए था तथा इस न्यायालय में लंबित अन्य मामलों के साथ संबद्ध नहीं करना चाहिए था।

अतः हम उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश को अपास्त करते हैं। मामले को पुनः उच्च न्यायालय को नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेषित करते हैं कि वे अपीलार्थी के आवेदन जो राशि वापस लौटाने का है उस पर विचार कर मामले का निस्तारण विधि अनुकूल तरीके से करें।

अपील को तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राकेश कुमार बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।